कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांक 1468 / 12-1 दिनांक, 18 / 12 / 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/OTHERS/40044/2019)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक 708 / 12–1 दिनांक 06.10.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है की विषयांकित प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 6371 / 14–2–576 / 74 दिनांक 20.06.1978 पर स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:–

1. सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ की शा0दे0सं0 1963 / 14–2–78 / 74 दिनांक 03.07.75 से श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर में रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे प्लॉट 08= 1425 वर्गफी0 एवं 09= 1275 वर्गफी0, कुल 2700 वर्गफी0 वन भूमि 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिये जाने स्वीकृति दी गई। **(संलग्न–01)**
2. अति मुख्य अरण्यपाल, कु0 उ0प्र0, नैनीताल की पत्र सं0 320 / 5–2 रा(II) दिनांक 03.07.1975 के माध्यम से उपरोक्त शासनादेश के पैरा 3 पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। **(संलग्न–02)**
3. प्रभागीय वनाधिकारी की 2727 / 5–4 दिनांक 24–11–75 द्वारा उक्त वन भूमि का विलेख का आलेख 3 प्रतियों तथा 32रू0 विधीक्षण शुल्क का ट्रेजरी चालान मुख्य अरण्यपाल (कुमाऊँ) को शासन के अनुमोदनार्थ भेजा गया। **(संलग्न–03)**
4. लीजधारक द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.03.78 के माध्यम से लीज भूमि पर पेट्रोल पम्प अनुमति चाही गयी। जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर के पत्र संख्या 3842 / 5–4 दिनांक 14.04.1978 से आख्या अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रेदश, नैनीताल को प्रेषित की गयी। **(संलग्न–04,05)**
5. अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रेदश, नैनीताल के पत्र 5867 / 5–2(रा)II दिनांक 16.05.78 के द्वारा अवगत कराया गया की श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को अपने प्लॉटों में पेहले एग्रो सर्विस सेन्टर के अन्तर्गत कृषि सेवा केन्द्र पूर्ण रूप से स्थापित करना होगा। एसा करने के बाद ही यदि एग्रो0 इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन उक्त स्वीकृत दो प्लॉटों में श्री घिल्डियाल को पेट्रोल व डिजल पम्प के स्थापनार्थ की स्वीकृति हेतु सस्तुति करता है, तो श्री घिल्डियाल के मामले को जिलाधिकारी व सार्वजनिक निमार्ण विभाग से आपत्ति नही का प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद आवश्यक संस्तुति के साथ शासन को भेजने पर विचार किया जा सकता है। **(संलग्न–06)**
6. अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रेदश, नैनीताल के पत्र 6378 / 5–2(रा)II दिनांक 16.06.78 के द्वारा लीजधारक के प्रार्थना पत्र के क्रम में पेट्रोल पम्प के स्थापनार्थ अनुमति बावत सचिव, उ0प्र0 शासन, वन अनुभाग–2, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया।**(संलग्न–07)**

7. सचिव, उ0प्र0, शासन, वन अनुभाग–2, लखनऊ के शासनादेश संख्या 6574/14–2–578/74 दिनांक 26.06.78 के माध्यम से अवगत कराया गया कि यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से " नो आब्जेक्शन सर्टीफिकैट" प्राप्त कर लेते है तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural implements workshop) के स्थापनार्थ शासनादेशा संख्या 1963/14–2–578/74 दिनांक 03.07.75 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। **(संलग्न–08)**
8. सचिव, उ0प्र0 शासन के शासकीय पत्र संख्या 6371/14–2–578/74 दिनांक 01.08.78 के माध्यम से अवगत कराया गया कि विधीक्षित विलेख में किसी परिवर्तन हेतु पट्टेदार से पुनः 25रू0 विधीक्षण शुल्क ट्रैजरी में उसी शीषर्क के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अवश्यक है एवं शासकीय तार संख्या 135/14–2 दिनांक 12.01.77 में जारी किये गये आदेश निरस्त समझते हुये शासनादेश सं0 शासनादेशा संख्या 1963/14–2–578/74 दिनांक 03.07.75 में उल्लिखित प्रीमियम व अध्यावधिक किराया श्री घिल्डियाल से तुरन्त वसूलने की कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही शासन को भी अवगत कराया जाय।**(संलग्न–09,10)**
9. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर द्वारा उनके पत्रांक 2706/5–4 दिनांक 20.01.1979 के माध्यम से राजि अधिकारी मालानी को पट्टेदार से प्रीमियम रू0 7500/– एवं वार्षिक किराया 375/– की दर से वसूले जाने के निर्देश दिये गये। **(संलग्न–11)**
10. पत्र संख्या 3155/5–4 दिनांक 21.01.1979 के द्वारा राजि अधिकारी, मालानी को निर्देश दिये गये की लीजधारक सें रू0 25 विधीक्षण शुल्क के साथ –साथ प्रीमियम व वार्षीक किराया वसूला जाये तथा जब तक लीजधाारक जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "नो आबजैक्शन सार्टिफिक्टे" प्राप्त नही कर लेते तब तक कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प नहीं लगा सकते है। **(संलग्न–12)**
11. लीजधारक श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल द्वारा उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.74 से अवगत कराया गया है कि इन्डियन आयल द्वारा प्रमाणित नक्से के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा नकशे की दो प्रति प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा निर्गत "नो आबजैक्शन सार्टिफिक्टे" सीधा इन्डियन आयल कारपोरेशन को जाता है। लेकिन आपके आदेशानुसार एक प्रति शीघ्र ही वहॉ से मंगवाकर प्रस्तुत कर देंगें। **(संलग्न–13)**
12. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार दिनांक 09.03.79 को जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत सशर्त प्रमाण पत्र लीजधारक द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। **(संलग्न–14)**
13. लीजधारक द्वारा उनके पत्र दिनांक 11.05.79 से अवगत कराया गया की Explosive Controller, Agra के द्वारा उनको रामनगर में रानिखेत मोटर मार्ग के किनारे पेट्रोल एवं डिजल पम्प का निर्माण किये जानी की अनापत्ति प्रदान कि गयी है। साथ ही उन्हें लाईसन्स संख्या UP4121B आवंटित कि गयी है। **(संलग्न–15)**
14. उपरोंक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 4644/5–4 दिनांक 31.05.79 से राजि अधिकारी मालानी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये श्री घिल्डियाल को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी। **(संलग्न–16)**
15. प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र 4721/5–4 दिनांक 31.05.82 से वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त को अवगत कराया गया कि श्री घिल्डियाल द्वारा विधीक्षण शुल्क 25रू0/–, भूमि का प्रीमियम 7500रू0/– एवं लीज भूमि का वार्षिक किराया 375रू0 प्रति वर्ष कि दर से वर्ष 1979 का जमा कर दिया गया है एवं वर्ष 1980, 1981 तथा 1980 का जमा करवाया जा रहा है। **(संलग्न–17)**
16. प्रभागीय वनाधिकारी की पत्र संख्या 4787/5–4 दिनांक 5.06.82 से प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, रामनगर को एम0एम0डी0सी0/नं0 674724 दिनांक 14.06.78 भुगतान हेतु प्रेषित किया गया। **(संलग्न–18)**
17. लीजधारक द्वारा उनके दिनांक रहित पत्र अवगत कराया गया की शासन में उन्हें 7500/– प्रीमियम की छुट देने पर विचार चल रहा है। साथ ही अनुरोध किया गया की उनके द्वारा लीज भूमि के प्रीमियम के रूप में जमा की गयी 7500रू0 की बैंक गारन्टी का भुगतान न करवाकर यथावत रखी जायें। **(संलग्न–19)**
18. प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 5009/5–4 दिनांक 20.06.82 से प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, रामनगर को एम0एम0डी0सी0/नं0 674724 दिनांक 14.06.78 का भुगतान रोके जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके फलस्वरूप प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, रामनगर के पत्र दिनांक 22.06.82 द्वारा बैंक गारेन्टी एवं ट्रेजरी चालान वापस प्राप्त किया गया। **(संलग्न–20)**

19. तत्पश्चात लीजधारक द्वारा वर्ष 2008 में उनके पत्र दिनांक 22.02.2008 के माध्यम से उक्त लीज के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया। जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र संख्या 1825/5–4 दिनांक 26.02.2008 के माध्यम से लीज नवीनीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी। **(संलग्न–21)**
20. उक्त संयुक्त निरीक्षण के पश्चात लीजधारक द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु पुनः पत्राचार दिनांक 06.08.2013 को किया गया। जिसके क्रम में लीजधारक को लीज नवीनकरण प्रस्ताव गठित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। **(संलग्न–22)**
21. प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 1416/12–1 दिनांक 16.12.2021 के माध्यम से आधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किय जाने तिथि निर्धारित की गयी। **(संलग्न–23)**
22. प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 2788/12–1 दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से लीज नवीनीकरण प्रस्ताव वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को प्रेषित किया गया, जिसे उनके द्वारा पत्रांक 1743/12–1 दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से अपर प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को प्रेषित किया गया। **(संलग्न–24)**
23. तत्पश्चात समय–समय से लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु पत्राचार चाला।
24. वर्तमान में लीजधारक श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल द्वारा लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल एवं डीजल पम्प संचालन किया जा रहा है। जबकि शासन द्वारा लीजधारक को अनापत्ति कृषि सेवा केन्द्र के साथ–साथ पेट्रोल एवं डीजल पम्प संचालन करने की दी गयी थी। जोकि लीज शर्तों का उल्लंघन है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(दिगन्थ नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रतिलिपि शा0 सं0 1963/14=2=78/74 दिनांक 3=7=75 प्रेषक, सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ सेवा में, आयुक्त, प0वृ0 उ0प्र0 नैनीताल ।

=====

विषय :- श्री हरीश चन्द्र धिलियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वन भूमि दिया जाना ।

=====

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0 2673/5=2 (T) दिनांक 3 मार्च 1975 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने श्री हरीश चन्द्र धिलियाल को कृषि सेवा केन्द्र (*Agricultural Implements workshop*) के स्थापनार्थ रामनगर — रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे 2700 वर्ग फीट (प्लाट नं0 8=1425 वर्ग फीट एवं प्लाट नं0 9=1275 वर्ग फीट) भूमि निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है :-

1. पट्टेदार उक्त भूमि का 7,500रु0 प्रीमियम एवं 375 रु0 वार्षिक किराया देगा ।
2. पट्टे की अवधि 30 वर्ष की होगी ।
3. भूमि जिस प्रयोजन के लिये दी जा रही है केवल उसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जायगी । पट्टेदार की पट्टे पर स्वीकृत भूमि की आवश्यकता न रहने पर वह बिना कोई प्रतिकर दिये ही वन विभाग को वापस हो जायगी ।
4. पट्टेदार उक्त भूमि को किसी को भी किसी भी रूप में हस्तान्तरित न कर सकेगा ।
5. यदि एक वर्ष के भीतर पट्टेदार द्वारा उक्त केन्द्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया जाता है तो उक्त भूमि बिना कोई प्रतिकर दिये ही शासन द्वारा वापस ले ली जायगी ।
6. यदि सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना हेतु दी गई अनुज्ञा वापिस ले ली जायगी तो पट्टा भी उसी समय से रद्द माना जायेगा ।
7. पट्टे की अवधि की ~~समाप्ति~~ समाप्ति पर अथवा शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप पट्टा रद्द किये जाने पर उक्त वन भूमि बिना कोई प्रतिकर दिये ही शासन को वापस हो जायगी एवं पट्टेदार को दो माह का समय दिया जायेगा जिसके भीतर वे अपना समस्त सामान एवं निर्माण कार्य आदि हटा लें अन्यथा उक्त समय के बाद जो भी सामान प्रश्नगत भूमि में रह जा

जायगा वह सरकार की संपत्ति हो जायगी जिसके लिये पट्टेदार किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

2. प्राप्त धनराशि आय-व्ययक के प्राप्ति शीर्षक " 113. वन " के मूल उप शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जाय ।

3. कृपया विलेख का आलेख्य शासन के अनुमोदनार्थ भेज दें एवं पट्टेदार को निर्देश दें कि वे 32 रु० निरीक्षण शुल्क के रूप में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा करके ट्रेजरी चालान गवर्नमेन्ट कन्वेयेन्सर, उ०प्र० विधान भवन लखनऊ के पास भेज दें :-

" 065 अन्य सामान्य सेवायें - क- अन्य प्रशासन -1- सेवायें तथा सेवा शुल्क निजी निकायों के लिये काम करने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस "

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है जो उनके अशासकीय सं० ई - 7= 1431/दस- 75 दिनांक 27=6=75 द्वारा प्रदत्त है ।

=====

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग . 7

आज्ञा से,

ह० एन० पी० त्रिपाठी

सचिव ।

कार्यालय अति० मुख्य वनपाल, कु० उ०प्र० नैनीताल ।

सं० ट. 320/5=2 रा. (H./ दिनांक नैनीताल जुलाई 3/ 1975

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को उनके पत्र सं० 2500/5=4 दिनांक 7=2=1975 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । शासनादेश के पैरा 3 पर शीघ्र कार्यवाही करें ।

अग्रेषित

(देवेन्द्र प्रसाद जोशी)
अति० मुख्य वनपाल, कु० उ०प्र०
नैनीताल ।

शा मा/ 31/7
सं. 1682/5-4 दि० ...8-75

कार्यालय अति0 मुख्य अरण्यपाल, कुमायूँ, उत्तर प्रदेश नैनीताल ।

स्मृति पत्र संख्या I / 320 / 5-2 (रा) 11 दिनांक नैनीताल 9-9 1975

(नाम से)

सेवा में
श्री [illegible]
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग ।

विषय:- श्री हरीश चन्द्र [illegible] की [illegible] सेवा [illegible] जिला नैनीताल [illegible]

सन्दर्भ:- इस कार्यालय की पत्र संख्या 320/5-2 (रा) 11 दिनांक 31-7-75

स्मार/ कृपया उपरोक्त पत्र व्यवहार का अवलोकन करें तथा वांछित सूचना शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें । केवल आपके प्रभाग से उपरोक्त सूचना न आने के कारण उच्चाधिकारियों को वृत स्तर से रिपोर्ट संकलित कर नहीं भेजी जा सकी है जिसके लिये उनके कार्यालय से लगातार स्मृति पत्र प्राप्त हो रहे हैं । अत: इसे अति आवश्यक समझा जाय ।

अति0 मुख्य अरण्यपाल, कुमायूँ,
नैनीताल ।

साह/

कार्यालय उप अरण्यपाल रामनगर वन प्रभाग - रामनगर ।

सं0 2727/5-4 दिनांक, रामनगर, नवम्बर, 24, 1975

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (कुमायूँ)

उत्तर प्रदेश - नैनीताल ।

विषय :- श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा
केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वनभूमि
दिया जाना ।

संदर्भ :- आपका पत्र सं0 320/5-2 (एच)(ii) दिनांक 3
75 तथा र- 5212/5-2 दिनांक 12-10-75

महोदय/

आपके उक्त संदर्भित पत्र के विषय में पैरा 3 के अनुसार
रु0 निर्धारित शुल्क का ट्रेजरी चालान सं0 24 दिनांक 24-9-75 तथा वि
का अन्य अभिशासन के अनुमोदनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

संलग्न :- ट्रेजरी चालान सं0 24 दि0 24-9-75
कुल 32/- रु0
2/ विलेख का आलेख 3 प्रतियों में ।

(एल0 जी0 बदलानी)
उप अरण्यपाल
रामनगर वन प्रभाग - रामनगर

राठौर/

(2) पट्टेदार उक्त भूमि को किसी भी किसी
रूप में हस्तान्तरित न कर सकेगा ।

Agro Service Centre

SPONSORED BY GOVT. OF INDIA AND PATRONISED
BY U. P. STATE AGRO INDUSTRIAL CORPN. LTD.

LAKHANPUR, RAMNAGAR
NAINITAL

Date 13-3-78

Ref.

Services Available

CUSTOM HIRING OF :
Tractor & other Farm Machinery

SPECIALISED IN REPAIRS OF :
Tractor, Diesel Pump-Set and other automobiles

SUPPLIER OF :
- Spare Parts of Tractors
- Trolly, Harrow and other Agricultural Implements
- Fertilizers
- Certified Seeds
- Cattle & Chicken Feed
- Diesel & Lubricant
- Fruit Preservation Goods, Jam Jally
- Fruit Drinks.

To,

The Divisional Forest Officer

Ramnagar,

Distt. Nainital

Sir,

I beg to bring to your kind notice that the
Indian Oil Corporation Ltd. in persuance of the policy
of the Govt. of India to encourage and help the Agro
Service centers and on the recommendation of the Managing
Director, U.P. State Agro Industrial Corporatiojn Ltd.
Lucknow, has been pleased to allot a retail out let to
me at Ramnagar. The retail ~~let~~ out let is one of the important
actvities of the Agro Service Centres and this out let
is to be established on the land allotted to me on lease
by the Forest Department at Ramnagar.

It is therefore requested to you that kindly
allow me to construct the Petrol pump.

I hope thatyou will encourage the young
entrepreneur by your kind and early favour.

Thanking you,

Yours Faithfully

Ghildyal

(Harish Chandra Ghildyal)

N.B. The copy of appointment letter
of dealership of petrol pump
is attached herewith.

R/C
pl. report

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग - रामनगर।

सं0 3842/5-4 दिनांक, रामनगर, अप्रैल, 14 1978

सेवामें,

अरण्यपाल, पश्चिमी वृत,
उत्तर प्रदेश - नैनीताल

विषय :- श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वन भूमि का दिया जाना।

महोदय,

श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को रामनगर- रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे शासनदेश सं0 1963/14-2-78/74 दिनांक 3-2-75 के अनुसार 8 तथा 9 प्लाट 30 वर्ष के लिये कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural Implements Workshop) स्थापनार्थ पट्टे पर स्वीकृत हुये है। पट्टेदार का लीज पट्टा शासन से अनुमोदन हो कर प्राप्त हो चुका है तथा पट्टेदार द्वारा पट्टा भी भर दिया गया है जो आपको इस कार्यालय का पत्र सं0 3838/5-4 दिनांक 14-4-78 से भेजा जा चुका है।

2/ पट्टेदार उक्त प्लाटों में पैट्रोल तथा डीजल पम्प खोलने की अनुमति चाहते है। जिसके लिये उनको इन्डियन आयल कारपोरेशन से डिलर शिप प्राप्त हो चुका है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

3/ शासनदेश सं0 1962/14-2-78/74 दिनांक 3-2-75 तथा लीज पट्टे की शर्तों के अनुसार पट्टेदार उक्त भूमि में केवल कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural Implements Workshop) की स्थापना कर सकते है परन्तु पट्टेदार का कहना है कि कृषि सेवा केन्द्र के स्थापना के अन्तर्गत पैट्रोल तथा डीजल पम्प भी खोला जा सकता है जिसका उन्होंने मुझे एग्रो सार्विस सेन्टरस (Agro-Service Centres) का एक बुकलेट दिखाई है जिसमें एक पैरा निम्न भी अंकित है :-

> b) Appointment as Agents: The Agto-Industries Corporations would appoint the Agro-Service Centres as their agents for sale & Service of agricultural machinery and implements. Assistance would also be offered in the fabrication of implements through allotment of steel and other engineering stores. The Indian Oil Corporation, Fertilizer manufacturers and Agricultural Machinery manufacturers have been requested to patronise Agro-Service Centres as their agents for sale service and distribution.

P.T.O.

(40)

इस प्रकार उपरोक्त धारा को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ के अन्तर्गत पेट्रोल तथा डीजेल पम्प भी खोला जा सकता है। यदि पट्टेदार श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल उक्त लीज प्लॉट में पेट्रोल तथा डीजेल पम्प खोलने से पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जिलाधिकारी नैनीताल से No objection certificate प्राप्त कर लेते है तो विभाग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः कृपया इस विषय पर आदेश देने की कृपा करें। आपके आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही पट्टेदार को पेट्रोल पम्प खोलने की अनुमति दी जावेगी।

पट्टेदार को सा0नि0 वि0 तथा जिलाधिकारी नैनीताल का No objection certificate प्रस्तुत करने हेतु अलग से लिखा जा रहा है।

भवदीय

[signature] 13/4

(जे0 एन0 श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग - रामनगर

रा0हा0/13/4

कार्यालय अरण्यपाल पश्चिमी वृत उत्तर प्रदेश नैनीताल

पत्र संख्या 5867/5-2(ii) II दिनांक मई 16 1978

(48)

सेवामें,
श्री जे०एन०श्रीवास्तव
प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग ।

विषय:- श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल की कृषि सेवा केन्द्र थापनार्थ जिला नैनीताल मे वन भूमि दिया जाना ।

सन्दर्भ:- (1)आपका पत्र संख्या 3842/5-4 दिनांक 14-4-78 ।

(2)आपका पत्र संख्या 4221/5-4 दिनांक 8-5-88 ।

स्मार, शासनादेश संख्या 1963/14-2-578/74 दिनांक 3-7-75 के द्वारा प्लौट नं० 8 व 9 श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural Implements workshop) के थापनार्थ लीज पर कतिपय शर्तों के साथ स्वीकृत हुये हैं । शर्त संख्या 3 के अनुसार उक्त लीज पर आवंटित प्लौटों का उपयोग केवल कृषि सेवा केन्द्र के थापनार्थ ही किया जाना है तथा शर्त संख्या 5 के अनुसार यदि पट्टेदार एक वर्ष के भीतर उल्लिखित केन्द्र पूर्ण रूप से थापित नही कर लेता है तो उक्त भूमि किसी प्रतिकर दिये ही शासन द्वारा वापस ले ली जायेगी ।

8634
5-4
18-5-782/

अपने सन्दर्भित पत्र संख्या 3842/5-4 दिनांक 14-4-78 मे आपका कथन है कि पट्टेदार ने आपको एक बुकलेट दिखलाई है जिसमे एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा एग्रो सर्विस सेन्टर्स को कृषि के यन्त्रो व औजारो की बिक्री व सेवार्थ एजेन्ट नियुक्त करने, स्टोल व अन्य इन्जीनियरिंग स्टोर्स के आवंटन के द्वारा औजारो के निर्माणार्थ सहायता देना तथा इन्डियन ओइल कारपोरेशन, फर्टीलाईजर मैन्यूफैक्चरर्स व कृषि मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स से एग्रो० सर्विस सेन्टर्स को बिक्री, सेवा व वितरण हेतु अपने एजेन्ट बनाने मे सहायता देने हेतु अनुरोध करने का उल्लेख है । परन्तु प्लौट नं० 8 व 9 जिस प्रयोजनार्थ श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल को स्वीकृत हुआ है, वह केवल कृषि सेवा केन्द्र के थापनार्थ ही है ।

3/ उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल को अपने प्लौटो मे प्रथम एग्रो०सर्विस सेन्टर्स के अन्तरगत कृषि सेवा केन्द्र पूर्ण रूप से थापित करना है क्योंकि यह उद्देश्य उनके नाम से उक्त प्लौट नं० 8 व 9 स्वीकृत करते समय स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। ऐसा कर लेने के बाद ही यदि एग्रो०इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन उक्त स्वीकृत दो प्लौटो मे श्री धिल्डियाल को पैट्रोल व डिजिल पम्प के थापनार्थ भी स्वीकृति हेतु सस्तुति करता है तो तब श्री धिल्डियाल के मामले को जिलाधिकारी व सार्वजनिक निर्माण विभाग से आपत्ति नही का प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद, आवश्यक सस्तुति के साथ शासन को भेजने पर विचार किया जा सकता है ।

(बी०एन०चतुर्वेदी) 15/5
अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, कुमाऊँ

R/C
Pl. take action
15/5

कार्यालय अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, ... प्रदेश, नैनीताल ।
पत्रांक 6328 / 5-2 डी-II नैनीताल, जून 16, 78
(98)

5 एस० डी०

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० शासन,
वन अनुभाग 2,
लखनऊ ।

विषय :- श्री हरीश चन्द्र थिल्डियाल को कृषि सेवा स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वन भूमि का दिया जाना ।

संदर्भ :- शासनादेश सं० 1963/14-2-578/74 दिनांक 3-7-75 ।

महोदय,

उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के आधार पर श्री हरीश चन्द्र थिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु रामनगर- रानीखेत मोटर मार्ग के (प्लाट संख्या 8 - 1425 वर्ग मीटर) एवं प्लाट सं० 9-1275 वर्ग मीटर) भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में 2700 वर्ग मीटर निम्न लिखित बातें शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती हैं ।

1020)
5-4
19/6

संदर्भित शासनादेश की शर्त 3 के अनुसार श्री हरीशचन्द्र थिल्डियाल को यह भूमि कृषि सेवा केन्द्र हेतु दी गई है और यह भूमि इसी प्रयोग हेतु काम में लाई जाना है, परन्तु श्री थिल्डियाल ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23-5-78 जो कि मूल में अवलोकनार्थ संलग्न है, यह प्रार्थना की है कि वह संदर्भित भूमि में पेट्रोल पम्प लगाना चाहते हैं क्योंकि एग्री सर्विस सेन्टर के अन्तर्गत विविध कार्य- क्षेत्र है जिनमें मुख्य रूप से कृषि संयन्त्र को किराया पर देना, भूमि सुधार कार्य, कुओं को ठीक करना, पम्प सेटों का लगाना, रख-रखाव आदि वृक्षों की संरक्षण, गोदामों की सुविधा, इसके अतिरिक्त खाद, बीज व कीटाणु निरोधक, कृषि मशीनों के स्पेयर पार्ट्स, औजार तथा तेल व चिकनाई की आपूर्ति भी आती है । श्री थिल्डियाल का कथन है कि उन्हें उ०प्र० स्टेट एग्री इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा रिटेल आउटलेट की अनुमति प्राप्त हो गई है * और इस कार्य हेतु वित्तीय लागत कम होने के कारण सुविधा है। अतः पेट्रोल पम्प को सबसे पहिले वह लगाना चाहते हैं तथा कृषि संयन्त्रों को रखने में काफी लागत है जिसे वह बाद में लगायेंगे ।

यदि श्री थिल्डियाल कृषि संयन्त्र बाद में लगायें और इस समय पेट्रोल पम्प लगा लें तथा जिलाधिकारी व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आपत्ति नहीं (No objection certificate) का प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । अतः कृपया शासन के इस सम्बन्ध में आदेश देने की कृपा की जाय ताकि वन भूमि का अधिकारी श्री थिल्डियाल को तदनुसार दे दिया जा सके । वन अनुभाग - 2 के शासनादेश संख्या 3836/14-2-578/74 दिनांक 2-... सिद्धि आदेशानुसार श्री थिल्डियाल द्वारा हस्ताक्षरित विलेख 3 प्रतियों में तथा नक्शे की भी 3 प्रतियों में लीज 652 के स्टाम्पस में ह० आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । विधायन शुल्क, चा०ब० 24 दिनांक 24-9-75, रामनगर स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया था जिसकी सूचना पत्र 3133/5-2(आर) ।। दि० 6-12-75 द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है ।

भवदीय,

संलग्न :- उपरोक्त ऊपर है ।

(आर० के० माथुर)
अरण्यपाल,
पश्चिमी वृत्त,
नैनीताल

2 . . . .

58

प्रतिलिपि शासनादेश संख्या 6371/14-2-578/74, लखनऊ, दिनांक, जून 26, 1978 वन अनुभाग -2, प्रेषक, श्री एन0पी0 त्रिपाठी, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

विषय:- श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वन भूमि दिया जाना।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6378/5-2 रा0, दिनांक जून 16, 1978 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट" प्राप्त कर लेते है तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural implements workshop) के स्थापनार्थ शासनादेश संख्या 1963/14-2-578/84, दिनांक जुलाई 3, 1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

362
5-4 (पेट्रोल पम्प)
15/7 "A"

कार्यालय अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

पत्र संख्या 17728 / 5-2(R) दिनांक: नैनीताल, जुलाई 12 78

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को इस कार्यालय के पृ0 ज्ञापन संख्या 6378/5-2 (रा0) दिनांक 16-6-78 के क्रम में सूचनार्थ एवं उक्त शासनादेशानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

(आर0बी0 माथुर)
अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, उ0प्र0, नैनीताल।
10/7

बि/10

विषय:- पेट्रोल तथा डीजल पम्प खोलने की अनुमति चाहने हेतु।

प्रसंग - इस कार्यालय की पत्र सं. 3843/5-4 दि. 14-5-78.

कृपया आपेक्षित नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। तभी अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

प्र0 वना0

(58)

प्रतिलिपि शासकीय पत्र संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक लखनऊ 1-8-78 प्रेषक श्री रघुनाथ सिन्हा अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त उ0प्र0 ।

xxxxxxx

विषय :- श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ जिला नैनीताल में वन भूमि दिया जाना ।

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक 26जून 1978 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधीक्षत विलेख में किसी परिवर्तन हेतु पट्टेदार से पुनः 25रु0 विधीकरण शुल्क ट्रेजरी में उसी शीर्षक के अन्तर्गत जमा करवाया जाना आवश्यक है अतः कृपया पट्टेदार को तुरन्त सूचित करने का कष्ट करें कि वे उक्त धनराशि जमा करके ट्रेजरी चालान को तुरन्त भेज दे ।

मुझे यह भी कहना है कि कृपया शासकीय तार संख्या 135/14-2 दिनांक12 जनवरी 1977 में जारी किये गये आदेश निरस्त समझे हुये शासनादेश सं0 1563/14-2-578/74 , दिनांक 3-जुलाई 1975 में उल्लिखित प्रीमियम व अर्धवार्षिक किराया श्री घिल्डियाल से तुरन्त वसूलने की कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही शासन को भी अवगत कराया जाय

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

कार्यालय अरण्यपाल, पश्चिमी वृत उत्तर प्रदेश नैनीताल ।
सं0 1858/5-2 (स) दिनांक नैनीताल अगस्त 9 ,1978

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को तुरन्त सूचनार्थ प्रेषित । कृपया तुरन्त आवश्यक कार्यवाहीं करें ।

ह0 (आर0वी0 माथुर)
अरण्यपाल, पश्चिमी वृत नैनीताल

सत्य प्रतिलिपि
20/1/79
प्रधान लिपिक
रामनगर वन प्रभाग

Divisional Forest Officer,
Ramnagar Forest Division,
Ramnagar (Nainital)

प्रतिबन्ध है

प्रतिलिपि शासकीय पत्र संख्या 6371/14-2-578/74, दिनांक लखनऊ 1-8-78 प्रेषक श्री शम्भूनाथ सिन्हा अनु सचिव उ०प्र० शासन सेवा में अरण्यपाल पश्चिमी वृत उ०प्र०

* * *

विषय:- श्री हरीश चन्द्र धिलिड्याल की कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ जिला नैनी[illegible] में वन भूमि दिया जाना ।

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या 6371/14-2-578/74, दिनांक 2[illegible] 1978 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधीक्षित विलेख में किसी परिवर्तन हेतु पट्टेदार से पुनः 25रु0 का निरीक्षण शुल्क ट्रेजरी में उसी शीर्षक के अन्तर्गत जमा करवाया जाना आवश्यक है । अतः कृपया पट्टेदार को तुरन्त सूचित करने का कष्ट करें कि वे उक्त धनराशि जमा करें ट्रेजरी चालान शासन को तुरन्त भेज[illegible] दें ।

12068
5-4 (कृषि सेवा)
19/8

मुझे यह भी कहना है कि कृपया शासकीय तार संख्या 135/14-2-दिनांक 12 जनवरी 1977 में जारी किये गये आदेश को निरस्त समझते हुये शासनादेश संख्या 1963/14-2-578/74, दिनांक 3 जुलाई 1975 में उल्लिखित प्रीमियम व अद्यावधिक किराया श्री धिलिड्याल से तुरन्त वसूलने की कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय ।

** * *

कार्यालय अरण्यपाल पश्चिमी वृत उत्तर प्रदेश नैनीताल
पत्र संख्या 1858/5-2 रा० दिनांक नैनीताल अगस्त 9 78

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर को तुरन्त सूचनार्थ प्रेषित । कृपया तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें ।

जगदीश/7

(आर०बी०माथुर)
अरण्यपाल पश्चिमी वृत नैनीताल

Copy of telegram dated 12.1.77 from Secretary, Forest, U.P. Shasan, Lucknow to C.F.W.C.

235/14-2 REFERENCE G.O. NO. 1963/14-2/578/74 DATED THIRD JULY 1975 ON THE SUBJECT OF LEASE OF PLOT NUMBER EIGHT RAMNAGAR - RANIKHET ROAD IN FAVOUR OF SRI HARISH CHANDGE GHILDAYAL STOP THELESSEE BEING AN UNEMPLOYED TECHNICAL HAND THE QUESTION OF REDUCING THE AMOUNT OF PREIMUPR 8.78 IS UNDER CONSIDERATION STOP MEANWHILE PRIOR PAYMENT OFPREMIUM MAY NOT BE INSISTED UPON AND THE PLOT IN QUESTION MAY BE ENTRUSTED TO THE LESSEE AFTER HE HAS FULFILLED OTHER TERMS AND HE FUHNISHED THE BANK GUARANTEE TO YOUR SATISFAYTION FOR THE AMOUNT OF PREMIUM STOP

.....

OFFICE OF THE CONSERVATOR OF FORESTS WESTERN CIRCLE, U.P.

No. 4150 /5-2(R) II Dated Nainital, January. 17 1977

Copy forwarded to D.F.O. Ramnagar Forest Division in continuation of this office end. No.9839/5-2 dt. 4.1.77 for information and necessary action. Post copy when received would also be sent final action may be taken thereafter. Meanwhile other formalities be got completed.

(R.B.MATHUR)
CONSERVATOR OF FORESTS
WESTERN CIRCLE, U.P.,

RKR/14

(59)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग - रामनगर।

सं० 2906/5-4 दिनांक, रामनगर, जनवरी, 20/ 1979

सेवा में,

राजि अधिकारी,
मलानी।

विषय:- श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ वन भूमि दिया जाना।

स्मार/

शासनादेश संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक 1-8-1978 को प्रति संलग्न करते हेतु आवश्यक कार्यवाही तुरन्त किये जाने की सूचना आपेक्षित है।

पट्टेदार से प्रीमियम रु0 7500/- (सात हजार पाँच सौ) एवं वार्षिक किराया 375/- (तीन सौ पचहत्तर रु0) दर से लिया जाना है।

अतः प्लाट से 8 एवं 9 श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को नियमानुसार

सौंप दें।

संलग्न:- 1

(प्रेम राम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग -रामनगर

पृ०सं० 2706/1/ दि०

प्रतिलिपि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 17-1-75 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं० 1963/14-2-578/74 दिनांक 3-7-75 के क्रम में, शासनादेश सं० 6371/14-2-578/74 दिनांक 1-8-78 की प्रतिलिपि के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त को उनके पत्र संख्या 858/5-2 (श) दिनांक 9-8-78 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

20/1/79

(प्रेम राम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग-रामनगर

शा०टि/20/1/

का०प्र० 20/1

Received
22/1/79

(62)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग-रामनगर।
सं० 3155 / 5-4 दिनांक, रामनगर, फरवरी 21 1979

सेवा में,

राजि अधिकारी,
मतानी।

विषय:- श्री हरीश चन्द्र पिलख्याल को कुर्मांचल सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ वन भूमि दिया जाना।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 2705/5-4 (कुर्मांचल सेवा) दिनांक 20-1-79

स्मरण

शासनादेश संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक 1-‍-79 के अनुसार 25/- निर्धारण शुल्क के साथ-साथ प्रीमियम व एडवांस किराया वसूला जाना था। इस विषय में उपरोक्त पत्रांक में अभी तक आपकी कोई सूचना नहीं मिली है अतः आवश्यक सूचना तुरन्त भेजें।

शासनादेश सं० 6371/14-2-578/74 दिनांक, जून 20, 1979 के अन्तर्गत श्री पिलख्याल प्लाट नं० 365 में तब तक कुर्मांचल सेवा केन्द्र के अधीन पेट्रोल पम्प नहीं लगा सकते हैं जब तक वह जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "नो आब्जेक्शन सार्टिफिकेट" प्राप्त नहीं कर लेते। अतः आप कृपया सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का निर्माण कार्य नियमों के विरुद्ध न हो।

(प्रेम राम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग-रामनगर

पत्रांक (1) / दि०

प्रतिलिपि अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त उत्तर प्रदेश नैनीताल को उनके पत्रांक 3364/5-2 (आर) II दिनांक 3-2-79 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय अधिकारी (रामनगर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि श्री हरीश चन्द्र पिलख्याल लीज होल्डर, प्लाट नं० 365 (रानीखेत रोड) को आवंटित धनराशि तुरन्त जमा किये जाने हेतु प्रेषित।

20/2/79

रा०सि०/16/2/

(प्रेम राम)
कृते प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग-रामनगर

प्रसन्नता है कि यदि ... नगर, मालगुजारी

(66)

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग

6 M... 1979

महोदय,

इन्डियन आयल द्वारा प्रकाशित नक्शे के अनुसार ही हम अपने पम्प का निर्माण कार्य कर रहे हैं, नक्शे की दो प्रति आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, आशा है आप अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। हम आपको आश्वासन देना चाहेंगे कि हम स्वीकृति प्लाट की सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा निर्गत No objection certificate सीधा इन्डियन आयल कारपोरेशन को जाता है, लेकिन आपके आदेशानुसार एक प्रति शीघ्र ही वहाँ से मंगवाकर प्रस्तुत कर देंगे।

धन्यवाद।

भवदीय
हरीश चन्द्र घिल्डियाल
स्वा. सर्विस सेन्टर
रामनगर
दि. 6/3/79

(रामनगर वन प्रभाग, पत्र सं. 728, प० सं० 5-1, दिनांक 7-3, नैनीताल) 1849

प्र०व०अ०
श्री घिल्डियाल ने अभी तक आपत्ति नहीं का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी नैनीताल से प्राप्त [illegible] एवं साथ ही [illegible] में प्रस्तुत नहीं किया है अतः इस प्रकार के नक्शे का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। [illegible]
7-3

कार्यवाही पत्रावली R.O. Malani ने उप-प्रभाग निरीक्षण हेतु मांगी है
7-3

प्र०
आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व निर्माण की अनुमति नहीं दी जाय, तदनुसार रे०अ० मलानी को आदेश दे दिये जाय।
7/3/79
प्र०व०अ०
7-3
7/3

68

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रामनगर- रानीखेत रोड पर वन भूमि पर स्थित प्लौट नम्बर 8 तथा 9 क्षेत्रफल 100×30 तथा 24' जो श्री हरीशचन्द्र ढौंडियाल के नाम पर लीज पर स्वीकृत बताया गया है, अधोहस्ताक्षरित संलग्न नक्शे के अनुसार इण्डियन ऑइल कॉरपोरेशन द्वारा डीजल पम्प लगाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते के वह इसके लिए कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव आगरा से अनुज्ञापन प्राप्त कर लें तथा किसी सम्बन्धित व्यक्ति को कोई एतराज न हो सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0 रामनगर के अनुसार 2 × 60 सें0मी0 रोड साइड ड्रेनेज, पुलिया निर्माण के लिये प्रार्थी को लोज एग्रीमेन्ट सा0नि0वि0 से करना होगा। भूमि पर स्वामित्व श्री हरीशचन्द्र ढौंडियाल का रहेगा जो आई0ओ0सी0 के डीलर बताए गये हैं।

दिनांक 3-1-79

ह0द्वारा के0पी0 सिंह
जिलाधिकारी नैनीताल

प्राप्त 9/3/79

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल
पत्र संख्या आप/5- आबकारी दिनांक जनवरी 3, 1979

प्रतिलिपि हस्ताक्षरित नक्शे सहित श्री हरीशचन्द्र ढौंडियाल द्वारा सर्वश्री इन्डियन ऑइल कॉरपोरेशन द्वारा श्री जे0पी0 गुप्ता, सेल्स ऑफिसर, गोविन्दनगर हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0द्वारा के0पी0 सिंह
जिलाधिकारी नैनीताल
3-1-79

सत्य प्रतिलिपि

प्रार्थना पत्र
दि. 11-5-79
(65)

To,
The Divisional Forest officer
Ramnagar Division

11 MAY

I want to bring it in your kind notice that the Explosive Controller Agra has issued no objection certificate regarding the construction of Diesel & Pump at Ranikhet Road Ramnagar. The N.O.C. is send by ~~them~~ him only to District Magistrate & Indian oil Corporation. The Explosive Controller Agra has alloted licence No D.P. 4121B to me.

Thanking you

Yours faithfully,
(signature)
H.C. Ghildiyal
Agro Service Centre
Ramnagar

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर

सं0 4644 / 5-4 दिनांक, रामनगर, मई 31, 1979।

सेवा में,

राजि अधिकारी,
मलानी ।

विषयः - श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ वन भूमि का दिया जाना ।

प्रसंगः - इस कार्यालय के पत्र संख्या 3689/5-4 दिनांक 27/3/79

स्मार/

श्री धिल्डियाल से अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रकार प्राप्त हो चुके है :-

1/ जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा प्राप्त सशर्त प्रमाण पत्र, इस प्रसंग में श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल ने सूचित किया है कि कन्ट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव, आगरा से अनुज्ञापत्र प्राप्त कर लिया है ।

2/ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति नक्शे सहित प्रस्तुत की गई है । जिसमें आवश्यक पुलिया निर्माण हेतु श्री धिल्डियाल सार्वजनिक निर्माण विभाग से एग्रीमेन्ट प्रथक से करेंगे ।

श्री धिल्डियाल द्वारा निम्न धनराशि जमा कर दी गई है :-

(अ)लीज किराया रु0 375/-आइटम नं0 22/मलानी आफ 3/79

(ब)विदोहण शुल्क रु0 25/- ट्रेजरी चालन सं0 19 दिनांक 12/5/79

(स्टेट बैंक आफ इंडिया, रामनगर) द्वारा जमा किया गया है ।

अतः श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल को शासनादेश संख्या 6371/14-2-5-73/74 लखनऊ, दिनांक जून 26, 1978 वन अनुभाग- 2 के अनुसार लीज प्लाट संख्या 8 व 9 में निर्माण प्रारम्भ किये जाने की अनुमति दी जाती है ।

(प्रेम राम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग-रामनगर

सं0 ______ (1)/ ______ दि0 ______

प्रतिलिपि उप प्रभागीय अधिकारी (रामनगर) को उपरोक्त प्रसंगित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य की पुष्टि किये जाने हेतु ।

प्रतिलिपि श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 24/4/79 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

30/5/79

(प्रेम राम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग-रामनगर

नवीन /15-5/

(476)

कार्यालय उप वन संरक्षक, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर.

संख्या, 4721 / 5-4 (ह०च० फिरम्वियाल) दिनांक, रामनगर, मई 31, 1982

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उ०प्र०, नैनीताल ।

विषय :- श्री हरीश चन्द्र फिरम्वियाल को कुकिंग गैस केन्द्र हेतु जिला नैनीताल में भूमि दिया जाना ।

संदर्भ :- आपका पत्र संख्या 16185/5-2ए-11/दिनांक, 27-4-1982
स्मारक/

उपरोक्त संदर्भ में सूचित करना है कि श्री फिरम्वियाल द्वारा निर्धारित शुल्क का 25/= (पच्चीस रुपया) दे० पा०वि०, 19 दिनांक 12-5-79 से जमा कर दिया है । चालान की जमा कर्ता प्रति शासन को भेजने हेतु संलग्न की जाती है ।

2/ श्री फिरम्वियाल ने प्रीमियम का 7500/= (सात हजार पाँच सौ रुपया) सेन्ट्रल बैंक की डिपोजिट रसीद संख्या 674724 दिनांक, 19-6-1978 द्वारा जमा किया गया है । और भूमि वार्षिक किराया 375/= वर्ष 1979 की जमा कर दिया है वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 का जमा करवाया जा रहा है ।

3/ श्री फिरम्वियाल को शासनादेश 1965/14-2-78/74 दिनांक, 3-7-1975 के निर्देशानुसार जनवरी 1979 में भूमि हस्तान्तरित कर दी गई थी ।

संलग्न :- यथो

(एस०डी० धामाना)
उप वन संरक्षक,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर,

पत्र संख्या, (1)/ उक्त दिनांकित,

प्रतिलिपि राजि अधिकारी मलानी को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे वर्ष 1980, 81-82 का वार्षिक किराया शीघ्र वसूल करें और इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय ।

प्रतिलिपि अधिकृत लिपिक प्रीमियम की डिपोजिट रसीद से जमा धनराशि 7500/= को 113 वन राजस्व में जमा करने की कार्यवाही करें ।

(एस०डी० धामाना)
उप वन संरक्षक,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नेगी/28/5/82/

कार्यालय उप वन संरक्षक रामनगर वन प्रभाग - रामनगर।

संख्या 4787/5-4 (इ०प०डि०) दिनांक, रामनगर, जून, 5 1982

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
रामनगर (नैनीताल)

विषय :- मनी मुटीपिकर डिपोजिट सार्टिफिकेट का भुगतान।

महोदय,

आपको एम०एम० डी० सी० / न० 674724 दिनांक 14-6-78 दो स्टेट चालानों के साथ भेजा जाता है कृपया सार्टिफिकेट का भुगतान कर संलग्न चालानों में जमा कर ~~[illegible]~~ [जमा] प्रति इस कार्यालय को शीघ्र भेजने की कृपा करें।

1- 7500/- 882 वन राजस्व रामनगर वन प्रभाग

2- 461-25 - 843 फॉरेस्ट डिपोजिट रामनगर वन प्रभाग।

संलग्न :- एम०एम०डी०सी०न०674724
स्टेट ट्रेजरी चालान।

भवदीय

(एच०डी० [illegible])
उप वन संरक्षक
रामनगर वन प्रभाग - रामनगर

4/6

नगा/28/5/82/

कार्यालय उप वन संरक्षक, रामनगर वन प्रभाग रामनगर ।

पत्र सं0 5009 /5-4 दिनांक, रामनगर, जून, 20 ,1982

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया,
रामनगर (नैनीताल)

विषयः - मनी मटी पिलर डिपाजिट सार्टिफिकेट का भुगतान ।

संदर्भ - इस कार्यालय की पत्र सं0 4787/5-4 दिनांक (ह0 चन्द्र चि0) ...
5-6-82 ।

महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में आपसे निवेदन करना है कि उक्त पत्र द्वारा ... सं0 674724 दिनांक, 14-6-78 को भेजा गया भुगतान हेतु M.M.D.C. रोक दिया जाय । तथा उ... अभी भुगतान न किया गया हो तो भुगतान रोक दिया जाय । सार्टिफिकेट को इस कार्यालय को लौटा दिया जाय ।

(एच0 डी0 ...
उप वन संरक्षक
रामनगर वन प्रभाग ...

RK

RVICES
&
IG CENTRE

AGRO

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.

RANIKHET ROAD, RAMNAGAR (NAINITAL) ☎ : (05945) RESI. 85523, OFF. 85484

Date 22-02-2008

No....................

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर ।

विषयः– प्लाट संख्या 8व 9 के लीज नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का प्लाट संख्या 8व 9 का लीज नवीनीकरण होना है। अतः आप लीज नवीनीकरण करने की अग्रीम कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

हरीश चन्द्र घिल्डियाल
(हरीश चन्द्र घिंल्डियाल)
एग्रो सविंस एण्ड फिलिंग
~~स्टेशन~~ सेन्टर
रानीखेत रोड,रामनगर
(नैनीताल)

मानचित्रकार
नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्र० व०
22/02/08

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक :– 1825/5-4 दिनांक ,रामनगर 26/2/ 2008

सेवा में ,

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी राजि

विषय :– प्लाट संख्या 8 व 9 के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण ।

रानीखेत रोड रामनगर स्थित प्लाट न0– 8 व 9 के लीज नवीनीकरण हेतु श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल, एग्रो सर्विस एण्ड फिलिग सेन्टर रानीखेत रोड रामनगर द्वारा आवेदन किया गया है अतः नवीनीकरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण की तिथि दिनांक 15.3.2008 निर्धारित की जाती है । आप संयुक्त निरीक्षण कर अनुपालन आख्यॉ प्रेषित करें ।

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

1825/ प्रतिलिपि श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल एग्रो सर्विस एण्ड फिलिंग सेन्टर रानीखेत रोड रामनगर जिला नैनीताल को प्रेषित कर कहना है कि निर्धारित तिथि दिनांक 15.3.2008 को सुंयक्त निरीक्षण हेतु सम्पर्क कर लेवें । उसी अनुसार निर्धारित प्रपत्रों पर नवीनीकरण प्रस्ताव प्रेषित करें ।

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

2

AGRO SERVICES & FILLING CENTRE

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.

RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)

☎ : (05947) OFF.-251484, RESI.-251523

Ref. No. ....

To,
The DFO, Ramnagar
Uttarakhand

Date: 06/08/2013

Subject: Renewal of the lease for plot no 8 & 9, on Ranikhet Road, Ram[illegible] name of Harish Chandra Ghildiyal

Dear Sir,

This is to request you to renew the lease of plot no 8 & 9 on Ranikhet Road which was allotted to Harish Chandra Ghildiyal S/o Late Shri M N Ghildiyal. This plot has office of Adarsh Cooperative transport on North, Forest compound on west and Ranikhet Road on East; since the allotment of lease, Agro Services & Filling Center (petrol pump) has been operating on this plot.

I would request you to kindly renew the lease of plot not 8 & 9 to Harish Chandra Ghildiyal to whom this plot was originally allotted.

Thanks and Regards

Ghildiyal

Harish Chandra Ghildiyal
Prop Agro Services and Filling Center
Ranikhet Road
Ramnagar (ntl)
Uttarakhand

[illegible] 7/8/2013

कार्यालय [illegible] रामनगर

पत्रांक 851

12-1

दिनांक 6/8/13

सेवा में

श्री हरीश चंद्र घिल्डियाल 6-8-13

एग्रो सर्विसेज एंड फिलिंग सेंटर

रानीखेत रोड रामनगर (नैनीताल)

विषय: लीज नवीनीकरण

सन्दर्भ: आपका पत्र दि० 6-08-2013

महोदय, आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में कहना है कि आप अपनी स्वीकृत लीज प्लाटों का निर्धारित प्रपत्रों पर लीज नवीनीकरण प्रस्ताव निदेशालय को भेज देवें। जिससे आगे कार्यवाही हो सकेगी।

[illegible]

20/8/13

CATS
Conservation Assured Tiger Standards
APPROVED

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांकः– 1416 / 12-1 दिनांक, रामनगर 16 .12.2021

सेवा में,

श्री हरीश चन्द्र घिलडियाल,
पुत्र श्री महेशानन्द घिलड़ियाल,
एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर,
रानीखेत रोड, रामनगर, नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि के नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ Others/40044/2019**।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव FP/UK/ Others/40044/2019 में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किये जाने बावत दिनाँक 10.01. 2022 की तिथि निर्धारित की जाती है।

अतः आप समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि को यथासमय स्थलीय निरीक्षण में प्रतिभाग करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

वन क्षेत्राधिकारी कोसी वन क्षेत्र रामनगर
6721 दि० 17.12.2021

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकित/ 1416 दिनॉकित।

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी कोसी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

कार्यालय
नियत तिथि को पत्र प्रस्तुत करें

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

2288 / 12-1 दिनांक, रामनगर 10/05/202

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भः– ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/40044/2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के कोसी राजि अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव प्रतिहस्ताक्षरित कर आपके अवलोकनार्थ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु 04 मूल प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकः– 2288 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर, रानीखेत रोड, रामनगर (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

O/C

कि प्रस्ताव में इं
इस कार्यालय

ड फिलिंग से
करण करने हे
के माध्यम
की जा सके

जोशी)
वं नोडल
रादून

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड शासन

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक– / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, मई, 17, 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग की पत्र संख्या 2788/12-1 दिनांक 10.05.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र से प्राप्त जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को प्रतिहस्ताक्षरित/आवश्यक कार्यवाही कर 03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1743 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामगनगर को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय
रामनगर वन प्रभाग रामनगर
क्रमांक 6331
पत्रांक सं० 12
दिनांक 18/5/2022

1815

Sandeep.bhandari01@gmail.com/12-1